

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 13/2017- केंद्रीय कर

सा.का.नि. 661(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिवर्ष ब्याज दर नियत करती है।

सारणी

क्रम सं.	धारा	ब्याज दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 50 की उपधारा (1)	18
2.	धारा 50 की उपधारा (3)	24
3.	धारा 54 की उपधारा (12)	6
4.	धारा 56	6
5.	धारा 56 का परंतुक	9

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 13/2017 – Central Tax

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby fixes the rate of interest per annum, for the purposes of the sections as specified in column (2) of the Table below, as mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Serial Number	Section	Rate of interest (in per cent)
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (1) of section 50	18
2.	sub-section (3) of section 50	24
3.	sub-section (12) of section 54	6
4.	section 56	6
5.	proviso to section 56	9

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.